

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-2
संख्या-1396/नौ-2-2014-134सा/13
लखनऊ : : दिनांक: 15 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन 1916) की धारा-9 की उपधारा-(1) के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय श्री महबूब राना पुत्र श्री अब्दुल वहीद अहमद निवासी मो0 मोमीन नगर तिमरशाह शामली जनपद शामली को नगर पालिका परिषद शामली में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- 1396(1)/नौ-2-2014, तददिनांक

संयुक्त निदेशक (प्रभारी), राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग, लखनऊ को कि इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित कराकर उसकी 50 मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. आयुक्त, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
4. जिलाधिकारी, शामली।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. अध्यक्ष/अधिसूची अधिकारी/नामित सदस्य नगर पालिका परिषद शामली (द्वारा जिलाधिकारी)
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।

६